राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ—226027

संख्या : ई-6405/ जी०एस०

दिनांक : अगस्त 22, 2024

प्रेषक.

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ०प्र०) स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-6400/2024, दिनांक अगस्त 23, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉo सुधीर एम० बोबडे) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6400 / 2024

दिनांक : अगस्त 23, 2024

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा—12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपित का कार्यकाल पदमार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपित के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसिलये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यिनष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासिनक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपित पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 09.10.2024 (बुधवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MAA SHAKUMBHARI UNIVERSITY, SAHARANPUR (U.P.)

Advt. No. E-6400/2024

Dated: August 23, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Maa Shakumbhari University, Saharanpur (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 09-10-2024 (Wednesday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ–226027

संख्या : ई- 6414/ ज

दिनांक : अगस्त 27,

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिवं/सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ०प्र०) प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्त विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई—6410/2024, दिनांक अगस्त 24 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपय प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड का कष्ट करें।

संलग्नकः - यथोपरि।

(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)

भवदीय

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, र

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदने आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6410 / 2024

दिनांक : अगस्त 24, 2024

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी(उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपित का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपित के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपित का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपित द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

Advt. No. E-6410/2024

Dated: August 24, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Bundelkhand University, Jhansi (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 01 October, 2024 (Tuesday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor Uttar Pradesh.

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

संख्या : ई- 6460/ जी०एस०

दिनांक : अगस्त 27, 2024

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

STATE OF STREET

लखनऊ-226027

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ०प्र०) स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई—6347/2024, दिनांक अगस्त 22, 2024 (हिन्दी / अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय.

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ.प्र.) के कुलपित के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6347 / 2024

दिनांक: अगस्त 22, 2024

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा—12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 04.10.2024 (शुक्रवार), तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, व

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MAHARAJA SUHEL DEV STATE UNIVERSITY, AZAMGARH (U.P.)

Advt. No. E-6347/2024

Dated: August 22, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 04-10-2024 (Friday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor, Uttar Pradesh.

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ–226027

संख्या : ई- 6472/ जी०एस(

दिनांक : अगस्त 27, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुखं सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ०प्र०) रे एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई—6453/2024, दिनांक अगस्त 27, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड़ कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

ming

भवदीय,

(डॉ० सुधीर एम० बोबडे) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6453/2024

दिनांक : अगस्त 27, 2024

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ(उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा—12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि कें लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपित का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपित द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT (U.P.)

Advt. No. E-6453/2024

Dated: August 27, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Chaudhary Charan Singh University, Meerut (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 04 October, 2024 (Friday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor Uttar Pradesh.